न्यायालय– एकादश्, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
ए0बी.पी.न0–4365 / 2025
बनियापुर थाना कांड सं0–200 / 2024

07.03.2026 आवेदक अभियुक्त सरोज राम उर्फ सरोज कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–4365/2025, बनियापुर थाना कांड संख्या 200/2024, अंतर्गत धारा 366ए भा0द0वि0 में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री हरेन्द्र मांझी एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

अभियोजन का आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2024 को सूचिका की बेटी उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। सरोज राम नट, कुनकुन राम नट एवं राजन नट, पवन नट, विनोद नट, रूबी देवी। सरोज नट के पूरे परिवार के मिली भगत से सूचिका के बेटी को शादी करने के नियत से भगा ले गया है। सूचिका के घर आता जाता था। सूचिका की लड़की अपने साथ में कुल गहना एक लाख पचास हजार रूपया का ले भागी है। सूचिका के घर का मोबाईल से फोन करता था। सूचिका उसके घर गई तो उसके साथ गाली–गलौज किया और मारपीट किया उसके घर वाला बोला कि लड़की नहीं देंगे। तुमको जहां जाना है। वहा जाओ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदक की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को झूंठा फंसाया गया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार है। पीड़िता पहले ही बरामद हो चुकी है और उसका धारा 164 द0प्र0स0 के अंतर्गत बयान भी हो चुका है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में बनियापुर थाना कांड संख्या 200/2024, अंतर्गत धारा 366A भा0द0वि0 में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादिनी का पुनः बयान अंकित है जिसमें वादिनी ने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कंडिका–6,7,8 में साक्षियों

का साक्ष्य है जिसमें सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका–26 में आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अंकित है जिसके अनुसार आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। कंडिका–57 में पीड़िता के जन्मतिथि के संदर्भ में अंकित है जिसके अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 14.01.2007 है जिससे स्पष्ट है कि पीड़िता घटना–तिथि पर अव्यस्क है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त सरोज राम उर्फ सरोज कुमार के तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक–11.11.2025 को उपरोक्त के आलोक में खारिज किया जाता है।

लेखापित

एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।